

निर्णय नं. इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय
प्रकरण संख्या 00/2024 (धारा 14 शिक्योरिटाईजेशन)
आचार्य फाईनेंसियर्स लि. (पूर्व नाम एचू हाउसिंग फाईनेंस लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय
फ्लोर साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. शांति देवी पत्नी श्री नन्पुराम
पता :- जालसू, सुदर्शनपुरा, जयपुर।
एवं खसरा नम्बर 100, ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जयपुर।
2. शिम्भू सिंह पुत्र श्री नन्पुराम
3. खेमराज चौधरी पुत्र श्री नन्पुराम
4. नन्पुराम जाट पुत्र श्री रामलाल जाट
पता :- जालसू, सुदर्शनपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री नरपत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 21.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.11.2020 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती शांति देवी के स्वामित्व की संपत्ति खसरा नम्बर 106 ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील आमेर, जयपुर पर स्थित गु-खण्ड क्षेत्रफल 581.33 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 14,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने 'The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीगांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी को कुल राशि 14,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी ने उपरोक्त

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (प्रांतीय)



नर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमाचुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गन ब्याज कुल 11,87,150/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 06.03.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती शांति देवी के स्वागित्त की बन्धक संपत्ति खसरा नम्बर 106 ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील आमेर, जयपुर पर स्थित गु-खण्ड क्षेत्रफल 581.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पबन्ध करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
- जयपुर आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
 बिना भजिस्ट्रेट
 जयपुर (ग्रामीण)